संख्या: 375 /2023/ 7509 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2023

विषय: जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3557/सं0नि0-6(158)/2021-22 दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 271 /2023/3673 /चार-2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण की परियोजना हेतु रू0 2127.87 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक इस परियोजना हेतु रू0 199.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 166/2022/1718/चार-2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022, शासनादेश संख्या- 257/2023/ 1910/चार-2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 271 /2023/3673 /चार-2023 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग परियोजना के स्वीकृत कार्यों के निर्माण में स्वीकृत मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 375 /2023/ 7509 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।